

“किसान परिवार का अगला पड़ाव-किसान उत्पादक कंपनी”

कृषि सम्बंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए, प्रदान स्वयं सेवी संस्था द्वारा असंगठित किसानों को बाँका जिला में संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है। किसान संगठित होकर एक उत्पादक कंपनी का गठन करेंगे।

वर्तमान में केन्द्र सरकार ने इसी अनुरूप एक दिशा निर्देश जारी की है जिसमें असंगठित किसानों को संगठित होकर उत्पादक कंपनी बनाने और अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में चर्चा किया है। छोटे और मध्यम किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए उत्पादक कंपनी का होना अनिवार्य है। वर्तमान की महामारी की स्थिति को देखते हुए इस तरह की कंपनी किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। असंगठित किसान को अने आमदनी को बढ़ाने के लिए संगठित होना आवश्यक है। संगठन का यह प्रयास किसानों को अपनी जमीन से जुड़े रहकर सम्मान पूर्वक खेती एवं अपने परिवार का भरण-पोषण करने में सहायता देगा।

छोटे एवं मध्यम किसान को कृषि में आने वाली समस्याओं को देखते हुए, समस्या समाधान के रूप में प्रदान संस्था कृषि उत्पादक कंपनी के प्रावधान पर चर्चा करना चाहती है।

कंपनी क्या है।

- यह एक खेती करने वाले बाँका जिला के किसानों द्वारा बनायीं गयी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसका पूर्ण रूप से मालिकाना हक कंपनी से जुड़े किसान परिवारों के हाथ में होगा।
- प्रदान संस्था कंपनी के बनने की प्रक्रिया में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और कंपनी को लाभप्रद बनने में सहयोग करेगा।

कंपनी द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ :-

कंपनी अपने सदस्यों को निम्न प्रकार की सेवा प्रदान करेगी।

1. मुख्य सेवा :

- सभी प्रकार के खेती में उपयोग होने वाले उत्तम क्वालिटी के बिज, दवा, खाद और उपकरण, बाजार या उससे सस्ते दर में किसान के गाँव या नजदीकी केन्द्र पर उपलब्ध कराएगी। जैसे—धान, सब्जि का बिज, यूरिया, पोटाश पम्पसेट, पाइप, कीटनाशक दवा इत्यादि।
- फसल सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी को होगी जिसमें— दवा प्रबंधन, घास निकोनी और फसल पोषण की व्यवस्था कंपनी के प्रतिनिधि के देख-रेख में किया जाएगा। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी की उसके सदस्य किसान के फसल सुरक्षा के लिए कंपनी का प्रतिनिधि समय-समय पर उपस्थित होगा।
- किसान के उत्पाद (उपज) को कंपनी के द्वारा खरीदा जाएगा और उचित मूल्य दिया जाएगा जिससे किसान को उपज बेचने में आने वाली समस्या का समाधान होगा।
- कंपनी अपने लाभ का बटवारा अपने सदस्यों के बीच करेगी, जिससे सदस्यों के द्वारा लगाये गए हिस्सा पूंजी का मूल्य हर साल बढ़ सके उसपर लाभ मिल सके।

2. अन्य सेवा :

- हर प्रकार के सब्जि के मिट्टी रहित पौधे (गाछी) उपलब्ध कराना।
- खेत जोतने के लिए ससमय ट्रेक्टर की उपलब्धता और दवा छिड़काव के लिए उपकरण की व्यवस्था जिससे किसान अपने फसल की बुवाई और सुरक्षा समय पर कर सकें।
- किसान को खेत में नियमित रूप से तकनीकी जानकारी और कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया जाएगा, जिससे फसल की पैदावार बढ़ सके और अत्यधिक लाभ मिल सकें।
- किसान को सस्ती सिंचाई और खेती के लिए पूंजी की उपलब्धता में भी कंपनी मदद करेगी।
- फसल के उपज की गुणवत्ता का जाँच करना और उसे लम्बे समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।
- तकनीकी खेती को बढ़ावा देना और नए किसान को प्रशिक्षित करना।
- नए और लाभदायक फल, फूल और सब्जि के खेती को प्रचलित करना। जैसे— फूल : जरवेर, गेंदा, गुलाब। फल :- आम, पपीता, केला, अनार, स्ट्राबेरी, अमरूद, बेर। सब्जि— गोभी, शिमला मिर्च, फ्रेंच बिन, ब्रोकली इत्यादि की व्यावसायिक खेती करना।
- फोन पर सामान मंगाने और शिकायत निवारण की सुविधा।

कंपनी में सदस्यता :-

- कंपनी के कार्य क्षेत्र के किसी भी परिवार का कोई भी 18 वर्ष से अधिक उम्र का महिला या पुरुष सदस्य हो सकता है।
- सदस्य बनने के लिए 100 रुपया सदस्यता शुल्क देय है।
- कंपनी में मालिकाना हिस्सेदारी के लिए कम से कम हिस्सा पूंजी के रूप में 10 रुपया प्रति शेयर (हिस्सा) के 50 शेयर जिसका कुल मूल्य 500 रुपया है खरीदना अनिवार्य है। यह शेयर (हिस्सा) कंपनी से सदस्यता समाप्त होने की स्थिति में उस वक्त के प्रति शेयर (हिस्सा) मूल्य के हिसाब से सदस्य को वापस की जायेगी।
- एक सदस्य को एक वोट का अधिकार प्राप्त होगा।